vinetur

दो भारतीय शराब निर्माताओं ने फ्लेवरिंग नियमों को लेकर खाद्य नियामक पर मुकदमा किया

ये मामले FSSAI के उस रुख को चुनौती देते हैं कि जिन स्पिरिट्स में अतिरिक्त रम या व्हिस्की फ्लेवरिंग मिलाई गई हो, उन्हें सिर्फ रम या व्हिस्की के रूप में नहीं बेचा जा सकता।

गुरुवार, 6 अगस्त 2026



दो भारतीय शराब निर्माताओं ने रम और व्हिस्की को कैसे फ्लेवर और लेबल किया जा सकता है, इस विवाद में देश के खाद्य नियामक के खिलाफ अदालत का रुख किया है, जिससे एक व्यापक नियामकीय लड़ाई तेज हो गई है और कुछ उत्पादों के फॉर्मूलेशन में बदलाव या उन्हें अलग नामों से बेचने की नौबत आ सकती है।

Diageo-नियंत्रित स्पिरिट्स कंपनी United Spirits ने 1 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें Food Safety and Standards Authority of India, यानी FSSAI, के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जो उसके Baramati संयंत्र में बने McDowell's No. 1 Rum से जुड़ा है। Associated Alcohol & Breweries ने 31 जुलाई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक अलग चुनौती दायर की, जो Central Province Whisky और McDowell's No. 1 Celebration Matured XXX Rum के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित एक नोटिस पर थी, जैसा कि 5 अगस्त को Economic Times-PTI

और The Times of India की प्रकाशित रिपोर्टों में कहा गया।

ये मामले अदालत के फैसलों के बराबर नहीं हैं, और मूल नियामकीय प्रश्न पर अभी कोई निर्णय नहीं आया है। तात्कालिक विवाद इस बात को लेकर है कि क्या उत्पादक ऐसे फ्लेवर जोड़ सकते हैं जो स्वयं उस स्पिरिट के मानक स्वाद और सुगंध की नकल करते हों, जैसे रम में रम फ्लेवर या व्हिस्की में व्हिस्की फ्लेवर, और फिर भी भारतीय खाद्य नियमों के तहत उत्पाद को रम या व्हिस्की के रूप में बेच सकते हैं।

एक नियामकीय फाइलिंग में, United Spirits ने कहा कि उसने अपने Baramati यूनिट में बने एक उत्पाद की बिक्री से संबंधित FSSAI के 29 जून के आदेश को चुनौती दी है। कंपनी ने कहा कि नियामक की आपत्ति लेबलिंग पर आधारित थी और कानूनी सलाह लेने के बाद उसका मानना है कि लेबल पर की गई घोषणाएँ भारत के मौजूदा कानूनी और नियामकीय ढाँचे के अनुरूप हैं तथा उद्योग की लंबे समय से चली आ रही प्रथा को दर्शाती हैं।

United Spirits ने यह भी कहा कि अब तक उस आदेश का कोई महत्वपूर्ण परिचालन या वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है। कंपनी ने इस मामले से प्रभावित बिक्री, इन्वेंट्री या उत्पादन मात्रा का खुलासा नहीं किया।

Associated Alcohol & Breweries की याचिका नियामक द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर की गई। प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, इस मामले की सुनवाई Indore बेंच के समक्ष तय की गई थी।

यह मुकदमा FSSAI द्वारा शराब निर्माताओं के खिलाफ चलाए गए एक व्यापक प्रवर्तन अभियान के बाद सामने आया है। 10 जुलाई को नियामक ने कहा था कि उसने Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018 के कथित उल्लंघनों को लेकर मादक पेय निर्माताओं को नोटिस जारी किए हैं, जिनमें उसके अनुसार अतिरिक्त फ्लेवरों का अनधिकृत उपयोग और आयु-संबंधी दावों का अनुपालन न होना शामिल था। उस समय नियामक ने सार्वजनिक रूप से शामिल कंपनियों या संयंत्रों की पहचान नहीं की थी।

बाद में FSSAI ने अपना रुख स्पष्ट किया और कई इकाइयों के नाम बताए। उसने कहा कि United Spirits के Baramati संयंत्र को नोटिस जारी किया गया था, जो McDowell's No. 1 Rum बनाता है। उसने मध्य प्रदेश में United Spirits के एक संयंत्र का भी नाम लिया, जो Antiquity Blue Whisky और Royal Challenge Whisky बनाता है, साथ ही मध्य प्रदेश में INBREW Beverages की एक इकाई का भी, जो Bagpiper Deluxe Whisky और Old Cask Deluxe XXX Rum बनाती है। Associated Alcohol & Breweries को Central Province Whisky और McDowell's No. 1 Celebration Matured XXX Rum के लिए उसके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा बताया गया।

नियामक ने कहा है कि मादक पेयों में फ्लेवरिंग पदार्थों पर कोई सामान्य प्रतिबंध नहीं है। लेकिन उसका रुख यह है कि निर्माता मानकीकृत पेय के स्वयं के फ्लेवर को जोड़कर उत्पाद को ऐसे बाजार में नहीं बेच सकते जैसे उसका चरित्र उत्पादन प्रक्रिया से स्वाभाविक रूप से आया हो। सार्वजनिक बयानों में FSSAI ने कहा कि रम और व्हिस्की का स्वाद और सुगंध उन सामग्री से आना चाहिए जिनका उपयोग किया गया है, और किण्वन, आसवन तथा परिपक्वता से।

नियामक के अनुसार, निरीक्षणों में ऐसे मामले पाए गए जिनमें कम अंतर्निहित चरित्र वाली न्यूट्रल अल्कोहल का उपयोग किया गया और फिर रम या व्हिस्की के अपेक्षित प्रोफाइल को पुनः बनाने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट जोड़े गए। FSSAI ने कहा कि इस तरह बने उत्पादों को इसके बजाय "rum-flavored spirit" या "whisky-flavored spirit" के रूप में लेबल किया जाना चाहिए, न कि उन्हें केवल रम या व्हिस्की के रूप में बेचा जाना चाहिए। उसने यह भी कहा कि परीक्षण किए गए उत्पादों को Food Safety and Standards Act के तहत "substandard" के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

यह व्याख्या ऐसे बाज़ार में महत्वपूर्ण है जहाँ स्थापित ब्रांड परिचित लेबलों और श्रेणी नामों पर निर्भर करते हैं। यदि नियमों की नियामक की व्याख्या बरकरार रहती है, तो अभी रम या व्हिस्की के रूप में बेचे जा रहे कुछ उत्पादों के फॉर्मूलेशन, लेबल की भाषा या दोनों में बदलाव करना पड़ सकता है। इससे यह प्रभावित हो सकता है कि उत्पादक कम कीमत वाले और मास-मार्केट स्पिरिट्स को कैसे स्थित करते हैं, जिनमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग व्यवस्था के तहत बने

उत्पाद भी शामिल हैं।

United Spirits के लिए, यह अदालत में दायर मामला एक ऐसे नियामकीय मुद्दे पर कानूनी मोर्चा जोड़ता है, जिसने भारत के स्पिरिट्स बाज़ार में कंपनी के आकार और ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय पेय समूह Diageo से उसके संबंध के कारण पहले ही ध्यान खींचा है। कंपनी के अनुसार, Baramati मामला एक उत्पाद पर केंद्रित है। लेकिन FSSAI की सार्वजनिक टिप्पणियाँ साफ करती हैं कि नियामक इस मुद्दे को सिर्फ एक लेबल से कहीं व्यापक मानता है।

Associated Alcohol & Breweries का मामला यह संकेत देता है कि विवाद सिर्फ एक उत्पादक या एक निर्माण स्थल तक सीमित नहीं है। कंपनी की चुनौती भारतीय स्पिरिट्स उत्पादन की जटिलता की ओर भी इशारा करती है, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आम है और एक ही नियामकीय व्याख्या ब्रांड मालिकों और बाहरी बॉटलरों, दोनों को प्रभावित कर सकती है।

उद्योग संगठनों ने भी इस चर्चा में हिस्सा लिया है। प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, Confederation of Indian Alcoholic Beverage Companies और International Spirits & Wines Association of India ने FSSAI के सामने यह मुद्दा उठाया है, क्योंकि निर्माता यह स्पष्टता चाहते हैं कि नियमों को कैसे लागू किया जाना चाहिए।

अब ये अदालत में दायर चुनौतियाँ इस बहस को एक साथ दो हाई कोर्टों के सामने ले आई हैं, एक मुंबई में और एक मध्य प्रदेश में, जबकि नियामक अपने उस रुख का बचाव जारी रखे हुए है कि फ्लेवरिंग का इस्तेमाल एक मानकीकृत स्पिरिट के प्राकृतिक प्रोफाइल को दोहराने के लिए नहीं किया जा सकता और फिर भी उसे उपभोक्ताओं के सामने साधारण रम या व्हिस्की के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।